

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 10 / 2014

तारीख रजू:- 25.11.14

पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

दानजी पुत्र भबूत्या जाति मीना निवासी बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली

आवेदक

बनाम

1. श्रीफल पुत्र रंगे जाति मीना निवासी बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. हरि पुत्र रंगे जाति मीना निवासी बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली।
3. सब रजिस्टार टोडाभीम।

अनावेदकगण

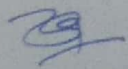
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा 251ए राज.टी.एक्ट
उपस्थिति:- श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट प्रार्थी
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण 1 ता 2

निर्णय

दिनांक:- 29.11.2019

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया है कि ग्राम बौल की आराजी ख0न0 200 रकवा 0.09 है0 की खातेदारी जमाबन्दी सम्वत 2068-71 में प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में से 0.05 है0 भूमि आबादी में दर्ज है। जिसका नामांतरण संख्या 676 से आबादी दर्ज हुई है। शेष 0.04 है0 पर काश्त की जा रही है।

ग्राम बौल की आराजी ख0न0 198 रकवा 0.07 है0, 199 रकवा 0.11 है0, के अनावेदकगण 1 व 2 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार जयनारायण पुत्र विशन्या निवासी बौल था उसकी मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतरण संख्या 635 दिनांक 5.9.12 अनआवेदकगण के हक में खुलकर तस्दीक हो गया जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2068-71 में दर्ज है। इस प्रकार वर्तमान रिकार्ड में अनआवेदकगण 1 व 2 खातेदार काश्तकार है। आराजी ख0न0 200 के दक्षिण में अनावेदकगण की खातेदारी भूमि ख0न0 198, 199 है तथा उसके दक्षिण में पुख्ता सी.सी. रोड बना हुआ है, आवेदकगण अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी ख0न0 200 में आने-जाने के लिये अनआवेदकगण 1 व 2 की खातेदारी की भूमि ख0न0 198, 199 की डोल जो मौके पर बने पक्के रोड से आवेदक की खातेदारी की भूमि तक आती है। उस डोल के सहारे-सहारे पूर्व की ओर ख0न0 199 की भूमि में होकर आवेदक बजमाने बुजुर्गान आते रहे हैं। और अपनी आराजी ख0न0 200 की जुताई-बुवाई, फसल लाने-जाने के लिये हल बैलगाड़ी टेक्टर आदि बजमाने बुजुर्गान से लाते ले जाते रहे हैं उक्त रास्ता प्रारम्भ से ही करीब 40 वर्ष से बीस फिट चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण आवेदक की खातेदारी की आराजी ख0न0 200 तक रहा है। आवेदक को अपनी भूमि पर पहुचने के लिए यही एक मात्र रास्ता है। पिछले 50 वर्ष से बजमाने बुजुर्गान अनआवेदकगण 1 व 2 के इत्म में उपयोग- उपभोग करते आ रहे हैं जिसे प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नक्शा शीट में लाल रंग की डोटैड लाईन से दर्शाया गया है। जयनारायण पुत्र विशन्या के फौत हो जाने पर तथा उसके हिस्से की भूमि का नामांतरण अनआवेदकगण 1 व 2 के नाम खुलजाने से आवेदक को परेशान करने


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

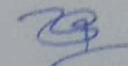
की गरज से रास्ते को बन्द करना चाहते हैं। अनावेदकगण 1 व 2 ने आपस में साज कर अपनी खातेदारी की भूमि ख0न0 199 की पश्चिम डोल के सहारे मौके पर ख0न0 198 व 199 की उत्तरी डोल की चिनाई हेतु खण्डे घटक दिये।

यह है कि बाँका दिनांक 21.11.14 का है कि आवेदक अपनी खातेदारी की भूमि ख0न0 200 पर जा रहा था तो अनावेदकगण व उसके हमराहीयान ने आवेदक से कहा कि हम तुम्हारे इस रास्ते को जल्द ही बन्द कर देंगे, और हमारे खेत ख0न0 198, 199 की उत्तरी डोल पर दीवार का निर्माण करवायेंगे। इस कारण आवेदक को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक को उसकी खातेदारी व कब्जे की आराजी ख0न0 200 रकबा 0.04 हे0 स्थित ग्राम बौल तहसील टोडापीम में आने-जाने के लिये ख0न0 198, 199 ग्राम बौल की मध्य की डोल के पूर्व की ओर स्थित ख0न0 199 की डोल के सहारे-सहारे उत्तर से दक्षिण करीब 20 फिट चौड़ाई में दक्षिण की ओर स्थित मौके पर बने पुख्ता सी.सी.रोड तक पूरी लम्बाई में राजस्व रिकार्ड में नवीन रास्ते के रूप में कायम कर नवीन रास्ते के रूप में कायम कर नक्शा शीट व राजस्व रिकार्ड में तरसीम करने के आदेश प्रदान करे, आवेदक रास्ते हेतु कायम होने वाली भूमि का अधिनियम की मंशाअनुसार न्यायालय द्वारा आदेशित मुआवजा राशी खातेदारान को अदा करने को तैयार है। बसूरत दीगर उक्त मुआवजा राशी अनावेदक न0 3 को जमा कराने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अनावेदकगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनावेदक न0 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आयी उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अनावेदक 1 व 2 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित अधिकांश कथन गलत है। ग्राम बौल की आराजी ख0न0 198, 199 अनावेदकगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। खातेदारी की आराजी ख0न0 198, 199 के दक्षिण में सी. सी. रोड नहीं है बल्कि देवस्थान की भूमि है। अनावेदकगण की आराजी में होकर ख0न0 200 या अन्य किसी भी ख0न0 का कोई रास्ता नहीं है। और नाही आवेदक उक्त आराजी 200 का वजमाने बुजुर्गान से उपयोग करते आ रहे है जब आवेदक ख0न0 200 का 15 साल पूर्व ही खातेदार नहीं था तो आवेदक का यह कथन कि वह ख0न0 198, 199 की डोल जो मौके पर बने पक्के रोड से आवेदक की खातेदारी की भूमि तक आती है का 40 वर्ष से 20 फिट चौड़ाई के रास्ते का उपयोग बुजुर्गान के समय करते रहने वाली बात एकदम हास्यास्पद प्रतीत होती है। जब अनावेदकगण की आराजी में होकर कोई रास्ता ही नहीं है, नाही आवेदक 15 साल पूर्व उक्त भूमि का मालिक था तो 50 वर्ष से उपयोग उपभोग वाली बात एकदम गलत अंकित है। तथा आवेदक द्वारा मर्जी से नक्शा शीट में लाल रसाही से लाईन प्रदर्शित कर एकदम फर्जकारी की है जबकि उक्त शीट में या मौके पर कोई रास्ता ही नहीं है। यह भी है कि ख0न0 198, 199 व 200 के मध्य पुख्ता डन्डा बना हुआ है जिसे आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद दिनांक 18.12.14 को ध्वस्त कर दिया है और लट्ठ के बल पर अनावेदकगण की आराजी की ओर दरवाजा निकालने पर उतारु है। तथा लट्ठ के बल पर रास्ता चाहता है। प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, खारिज योग्य है। तथाकथित दिनांक 21.11.14 के वर्णित तथ्य गलत एवं कपोलकल्पित है। जब अनावेदकगण की आराजी में होकर रास्ता ही नहीं है। तो बन्द करने की धमकी देने का प्रश्न ही कहीं उत्पन्न होता है।



उपजिता कुलकर्णी
(करीली)

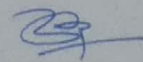
यह है कि ख0न0 200 पूर्व में चन्दर पुत्र रामकुमार की खातेदारी में दर्ज है जो सम्वत् 2056-59 की जमाबन्दी में अंकित है। आवेदक द्वारा उक्त आराजी को खरीद किया है। आवेदक अनावेदकगण की आराजी में होकर 40-50 वर्ष से आने-जाने वाले कथाकथित रास्ते का उपयोग करना चाहता है जो उसकी बदयान्ति का प्रतीक है प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अनावेदकगण की अन्य आराजी में सिचाई हेतु आवेदक की भूमि में होकर अन्डर ग्राउन्ड पाईप निकाल रखे हैं जिन्हें बन्द करने के लिये आवेदक द्वारा ख0न0 198, 199 व 200 के मध्य पुख्ता दीवार बना दी थी। उक्त पाईपो से सिचाई का उपयोग करने की एवज में लट्ठ के बल पर अनावेदकगण की आराजी में रास्ता चाहता है। आवेदक की आराजी ख0न0 200 रकवा 0.09 है0 के उत्तर दिशा की ओर अन्य आराजी है। जिसमें होकर आवेदक सी.सी.रोड तक बने रास्ते का उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है तथा मौके पर रास्ता बना हुआ है। आवेदक के ख0न0 200 व अन्य आराजी में होकर बने रास्ते जो गाँव में भन्ने कुआ के पीछे सी.सी.रोड से मिला हुआ है का उपयोग कर रहा है आज भी कर रहा है पैसे व लट्ठ के बल पर अनावेदकगण की खातेदारी में होकर रास्ता चाहता है जो किसी भी प्रकार दिया जाना न्याय संगत नहीं है प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

आवेदक की ओर से शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी और नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है। अनावेदकगण की ओर से इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत टी.आई प्रार्थना पत्र में तहसीलदार टोडाभीम की ओर से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण में वकील उभयपक्ष की दलीले सुनकर तहसीलदार टोडाभीम से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टोडाभीम की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील आवेदक ने बहस प्रारम्भ करते हुये कथन किया कि ग्राम बौल की आराजी ख0न0 200 रकवा 0.09 है0 में से 0.05 है0 में आबादी बनी हुई है। आबादी एवं कृषि भूमि पर ख0न0 198, 199 जिसके दक्षिण में सी.सी. रोड बना है, वहाँ से आने के लिये ख0न0 198 व 199 की डोल के सहारे-सहारे आता जाता हूँ रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली भूमि की कीमत डी.एल.सी. की रेट से जमा कराने को तैयार हूँ अनावेदकगण ने जबाब में देवस्थान की भूमि होना वर्णित किया है किन्तु उनके द्वारा कोई भी दस्तवेज रिकार्ड पेश नहीं किया है मैंने जिस व्यक्ति से भूमि कय की हैं, उस व्यक्ति ने ख0न0 198, 199 की डोल से ही रास्ता बताया है। सी.सी.रोड बना होने को अनावेदकगण ने जबाब में स्वीकार किया है। दिनांक 16.10.19 की मौका रिपोर्ट का मुलायजा फरमावे दिनांक 9.4.15 की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम की आबादी से मेरी भूमि की दूरी बढ़ गई है मौके पर रास्ता या खातेदारी का हवाला नहीं दिया है मुझे और कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं बताया है। आवेदक को 20 फिट चौड़ा रास्ता दिया जावे। वकील आवेदक ने आर.आर.डी 2016 पृष्ठ संख्या 229 प्रस्तुत की।

वकील अनावेदकगण ने बहस में कथन किया कि ख0न0 198 व 199 में होकर रास्ते का उपयोग करना बताता है आवेदक ने अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 200 में से 0.05 है0 आराजी आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करवाई है उस प्रार्थना पत्र में कहाँ होकर रास्ता बताया है प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं है। तहसीलदार की रिपोर्ट जबाब के बाद में प्रस्तुत हुई है उक्त रिपोर्टों में ख0न0 198 व 199 में होकर रास्ता व पगडंडी की रिपोर्ट नहीं है प्रथम रिपोर्ट दिनांक 23.2.15 में ख0न0 198 व 199 में कोई रास्ता नहीं माना है। आपत्ति पेश होने पर दिनांक 8.4.15 को पुनः रिपोर्ट मगवाई है। इस रिपोर्ट में ख0न0 207 व 238 में पगडंडी बताई है अतः प्रचलित रास्ते में ही नया रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। ख0न0 198, 199 व 200 के मध्य बाउन्ड्री थी अन्य आराजी में सिचाई हेतु पानी पहुचाने के लिये अन्डर ग्राउन्ड पाईप लाईन डाल रखी थी आवेदक उन्हें तोड़ने की धमकी देते हैं। दिनांक 5.10.19



उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

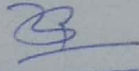
को तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार भी हमारी आराजी से होकर कहीं भी रास्ता नहीं बताया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत नयी जगह रास्ता नहीं दिया जा सकता है। जिससे खरीदी उसके द्वारा भी प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र दिया है जिसमें ख0न0 198, 199 में रास्ता नहीं होने का उल्लेख किया है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र मयहर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

आवेदक वकील ने प्रत्युत्तर बहस में कथन किया कि निजी सुखाचार का प्रकरण नहीं है। 251 ए में नये रास्ते का उल्लेख है। द्वितीय रिपोर्ट में पक्षकार की अनुपस्थिति में बनायी है श्रीमोहर पूर्व खातेदार के बारे में भी उक्त रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि श्री मोहर पूर्व में कहीं से ख0न0 200 में आता-जाता रहा है श्रीमोहर के हस्ताक्षर भी नहीं है। मैं वर्तमान में ख0न0 198 व 199 से आता जाता हूँ। अतः उक्त ख0न0 से ही रास्ता दिलवाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली में शामिल दस्तावेजों तहसीलदार टोडाभीम की ओर से प्रस्तुत तीनों मौका रिपोर्टों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 23.2.15, 8.4.15 एवं 5.10.19 में वर्णित किया है कि ग्राम बौल की आराजी ख0न0 200 में पहुँच हेतु ख0न0 198, 199 में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। मौका रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है ख0न0 200 में पहुँच हेतु सी.सी.रोड से ख0न0 237 व 238 की मेड़ से होकर रास्ता जाता है। तथा आवेदक इसी रास्ते का उपयोग करता है। रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि मौके के अनुसार सी.सी.रोड से ख0न0 237, 238 से गुजरने वाली पगडंडी की दूरी आवेदक दानजी के ख0न0 206 की भूमि से 30 मीटर दूरी पर स्थित है। इसके बाद आवेदक दानजी अपना ख0न0 206, 207 व 200 में प्रवेश करता है तथा मौके पर आवेदक का ख0न0 206 व 207 मिलकर एक बना हुआ है। एवं आवेदक दानजी की वर्तमान में टूटी हुई बाउन्ड्री वाल से ख0न0 198 व 199 से 51 मीटर दूरी पर यज्ञशाला व भोमिया बाबा का मंदिर है इसके बाद 24 मीटर ओर दूरी पर सी.सी. रोड गुजरता है। प्रार्थी को आबादी में आने-जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है।

पत्रावली में सलग्न रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम बौल की जमाबन्दी सम्वत 2067-71 के अनुसार आराजी ख0न0 200 आवेदक की स्वयं की खातेदारी में दर्ज है। ख0न0 198 व 199 श्रीफल, हरी पि0 रंगे के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 5.10.2019 अनुसार ख0न0 200 में सी.सी.रोड से ख0न0 198, 199 होते हुये दूरी $51 + 24 = 75$ मीटर है। तथा उक्त खसरा नम्बरान में होकर कोई प्रचलन का रास्ता भी नहीं होना रिपोर्ट में अंकित किया है। रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में आवेदक का ख0न0 200 हेतु आवागमन सी.सी.रोड से ख0न0 238, 237, 207 व 206 से होते हुये बताया गया है। ख0न0 237 व 238 आवेदक से भिन्न खातेदारों की खातेदारी में है, जबकि ख0न0 206 आवेदक की पत्नि रज्जो देवी के नाम है, ख0न0 207 आवेदक की पत्नि रज्जो के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। रिपोर्ट अनुसार ख0न0 237 व 238 होते हुये सी.सी. रोड से दूरी 30 मीटर ही है।

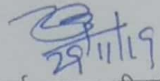
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी अभिधारी अपनी जोत तक पहुँचने के लिये अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करना चाहता है ओर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है, तथा प्रकरण में रास्ता अत्याधिक आवश्यकता का हो तो संक्षिप्त जाँच के पश्चात उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण का निस्तारण करने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार यह तथ्य सही है कि ख0न0 200 में जाने हेतु आवेदक को रास्ते की आवश्यकता है लेकिन आवेदक द्वारा प्रस्तुत


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करोली),

प्रार्थना पत्र में ख०न० 198, 199 से चाहा गया रास्ता न तो प्रचलन में है और नाही चालू है तथा उक्त खसरा नम्बरान से नया रास्ता प्रस्तावित किये जाने पर भूमि भी ज्यादा प्रभावित हो रही है जबकि आवेदक द्वारा वर्तमान में आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा रास्ते से उनकी खातेदारी में प्रवेश हेतु केवल 30 मीटर भूमि ही अन्य खातेदारों के प्रभावित हो रही है। चूंकि रास्ता काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की मंशा भी यही है कि नया रास्ते हेतु प्रभावित भूमि का रकबा अन्य काश्तकार का कम से कम प्रभावित हो उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते में भूमि भी अधिक प्रभावित हो रही है तथा वर्तमान में रास्ता भी प्रचलन में नहीं है, और कभी रहा हो इसका भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन से आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली